न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
40/2020/प्रा.पत्र/2020	10.06.2020	24.08.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री चिरन्जी लाल जैन निवासी मनसुख दास जी की गली बडा तख्ता टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स गेंदीलाल चिरन्जी लाल जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
2–मैसर्स गेंदीलाल चिरन्जी लाल जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
3–श्री घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द अग्रवाल निवासी नजर बाग रोड सब्जी मण्डी बडा कुंआ टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
4–मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक
5–श्री अक्षय अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा.लि. 69–70, सुजुकी एनक्लेव, चित्तोड रोड, रामधाम के पास भीलवाडा राज.
6–मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा.लि. 69–70, सुजुकी एनक्लेव, चित्तोड रोड, रामधाम के पास भीलवाडा राज.

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण अनुपस्थित ।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 24.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.02.2020 को समय 01:45 पीएम पर मैसर्स गेंदीलाल चिरन्जी लाल जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री चिरन्जी लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ज्ञानचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में 500–500 ग्राम पैक के लगभग 35 पैकेट पैक्ड अवस्था में **सूजी (चारभुजा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री ज्ञानचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री ज्ञानचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सूजी (चारभुजा ब्राण्ड)** जिसके बैच

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नम्बर एकेएसएस 02 एवं पैकिंग की दिनांक 13 फरवरी 2020 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के चार पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500 –500 ग्राम के चार पैकेट **सूजी (चारभुजा ब्राण्ड)** को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2465 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2465 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री चिरन्जी लाल जैन मैसर्स गेंदीलाल चिरन्जी लाल जवाहर बाजार बडा कुंआ टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त सूजी क्रय करना बतया। आवेदक द्वारा मैसर्स मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा.लि. 69–70, सुजेकी एनक्लेव, चित्तोड रोड, रामधाम के पास भीलवाडा राज. का खरीद बिल की छायाप्रति प्रस्तुत कर उपरोक्त सूजी क्रय करना बताया एवं संबंधित दस्तावेज प्रेषित किए।

आवेदक द्वारा मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा.लि. 69–70, सुजेकी एनक्लेव, चित्तोड रोड, रामधाम के पास भीलवाडा राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र व जीएसटी रजि. की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/1333 दिनांक 05.05.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./487/एक्ट /2020/548 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सूजी (चारभुजा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) व 3(1)(zf)(c)(i) उल्लंघन करने के कारण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। समस्त अप्रार्थीगण की तामिल हो चुकी हैं। परन्तु अप्रार्थीगण दिनांक 20.04.2022 से लगातार अनुपस्थित हैं एवं जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि अप्रार्थीगण अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोयाबीन सूजी (चारभुजा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सूजी (चारभुजा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/–(अक्षरे तीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 24.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0